

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या- 18/2022

1. हाकम अली पुत्र हनीफ खां जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

- अपीलान्त

बनाम

1. जैतून पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बलकेशा पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जरीना पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. नूरसलाम पुत्र हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सरिया बानो पुत्री हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. युनूस पुत्र हनीफ जाति कुम्हार(मुसलमान) निवासी वार्ड नं0 16 नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. याकूब पुत्र हनीफ जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

-रेस्पोंडेन्ट्स



उपस्थित:- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांत।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-1,2,3

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-5

निर्णय

दिनांक:-06.07.2023

अपीलांत हाकम अली पुत्र हनीफ खां जाति कुम्हार (मुसलमान) निवासी वार्ड सं. 16 नोहर द्वारा तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1474 दिनांक 02.03.2022

06/3/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रोही मौजा चक देईदासपुरा को अपास्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

यह कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1474 स्वीकृति आदेश दिनांक 02.03.2022 रोही मौजा चक देईदासपुरा बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर विधि विरुद्ध एवं एक पक्षीय होने से अपास्तनीय है।

2. यह कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 235/ 226 के ख.न. 192 की 0.2530 हैक्टर ख.न. 193/2 की 0.0880 हैक्टर, ख.न. 288/1 की 1.0880 हैक्टर ख.न. 292 की 2.3650 हैक्टर भूमि कुल 4 किता की 3.7940 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका हनीफ खां वल्द गनी कौम मुसलमान कुम्हार का खातेदार काश्तकार था। वर्तमान में उक्त भूमि खाता सं. 309/279 में दर्ज है, हनीफ खां वल्द गन्नी अपीलान्ट व रेस्पों. सं. 1 ता 7 के पिता थे, जो दिनांक 21.11.2003 को फौत हो चुके हैं। अपीलान्ट की माता पारसा पत्नि हनीफ दिनांक 12.01.2013 को फौत हो चुकी है तथा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस उनके वारिसान हैं।
3. कृषि भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करते समय रेस्पोंडेन्टस व अपीलान्ट के उक्त भूमि ब.हि.ब. दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस सं. 1 ता 7 जाति से मुसलमान हैं तथा मुस्लिम विधि से शासित हैं। मोहम्मडन लॉ की धारा 118 के अनुसार पुत्रों का उपरोक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा व पुत्रियों का 1/8 हिस्सा की खातेदार है जबकि पुत्रियों को दुगना हिस्सा पुत्रों के पक्ष में व हिस्सा में आता है परन्तु मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट पुत्र वारिसों का हिस्सा बहिन वारिसों के हक व हिस्सा अधिक दर्ज कर दिया अर्थात् अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 6 व 7 का हक व हिस्सा रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 5 के दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 6 व 7 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के व रेस्पों. सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं उक्त नामान्तरण आदेश मोहम्मडन लॉ की धारा 118 के विपरीत है। विधि की अवहेलना पारित होने से अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।
4. अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। विधि की अवहेलना में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस सं. 6 ता 7 का हक व हिस्सा के रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 5 के अधिक दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व जवाब देही व साक्ष्य का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण एकपक्षीय मनमाना व गलत है तथा विधि की अवहेलना में तथा नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
5. यह कि अपीलान्ट व रेस्पों. सं. 6 व 7 तीनों का वाद भूमि प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे एवं रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 5 के 1/8, 1/8 हिस्से की



06/7/25
ऑटो रिक्त जिला कोर्ट
नोहर (हनुमानगढ़)

खातेदार काशतकार है। अपीलान्त रेस्पोंडेन्ट सं. 6 व 7 के 1/8, 1/8 हिस्से कतई गलत दर्ज किया गया है। अपीलान्त व रेस्पों. सं. 6 व 7 के हक व हिस्से की भूमि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 5 के कतई गलत तौर से दर्ज की गई है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 1474 दिनांक 02.03.2022 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त फरमाई जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-1, 2, 3 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या-04 जरिये रजिस्टर्ड डाक ए.डी. से तामिल होने के उपरान्त भी रेस्पोंडेन्ट संख्या-04 उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोंडेन्ट संख्या-04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या-05 की ओर से श्री मांगीलाल बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये एवं इकबाल अपील प्रस्तुत किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-6, 7 द्वारा उपस्थित होकर इकबाल अपील पेश किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट भाई बहन है। हनीफ खां फौत होने के उपरान्त विरासतन नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दर्ज किया गया। अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट जाति से मुसलमान है। अतः विरासतन नामान्तरण मुस्लिम अधिनियम की धारा 118 के अनुसार दर्ज होना था, जिसमें पुत्रों का 1/4 हिस्सा एवं पुत्रियों का 1/8 हिस्सा होता है। उसी अनुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था। अतः विरासतन नामान्तरण मोम्मडन लॉ के विरुद्ध है। प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। इस निम्न हेतु दृष्टांत पेश किया-

1. Citation: RLW2013(1)RJ18

2. 1999 RRD Page 568

1977 RRD Page 92

2018 RBJ Page 710



राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार उक्त प्रकरण पर मुस्लिम विधि लागू होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-1, 2, 3 श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि दो अपीले नामान्तरण संख्या 82 एवं नामान्तरण संख्या 1474 दिनांक 02.08.2022 को दर्ज हुये। ये भूमि दो जगह है। यह नामान्तरण स्वयं हाकम अली द्वारा करवाया गया है। स्वयं द्वारा शपथ-पत्र पेश किये गये। अपील की मद संख्या-04 में

06/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (झारखण्ड)

कहा कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि नामान्तरण स्वयं हाकम अली, युनूस, याकूब, नूरसलम, एवं सरिया बानों द्वारा स्वयं दर्ज करवाया गया है। दोनों नामान्तरण में भी यही स्थिति है। पूर्व में नामान्तरण स्वयं दर्ज करवाकर रेस्पोजेन्ट संख्या-4, 5 दोनों से हक त्याग करवा लिया। उसी भूमि के हक त्याग के पश्चात अपील कर रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में जहां व्यक्तिगत कानून के तहत निरवसीयत मर गया है वहां स्वयं विधि के अनुसार दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु निम्न दृष्टांत पेश किये- Citation:RBJ 2020 Page no. 194 to 198

इनको सुनकर ही नामान्तरण किया गया, फिर भी नामान्तरण की अपील कर दी। नामान्तरण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज हुआ है। अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांत ने पुनः बहस में कथन किया कि दर्ज नामान्तरण मोहम्मडन लॉ के विरुद्ध है। लॉ के विरुद्ध है तो विधि विरुद्ध है, यह कोर्ट में साबित करना होगा- Evidence Act की धारा 13, 44, 48 द्वारा। इस हेतु निम्न दृष्टांत पेश किये- 1977 RRD Page 92

रेस्पोजेन्ट संख्या- 5, 6, 7 ने इकबाल अपील पेश किया है। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रियों का अधिकार नहीं होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार नामान्तरण दर्ज होना था।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या-1, 2, 3 ने पुनः कथन किया कि विबंधन का नियम लागू होता है। स्वयं ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। स्वयं की पूर्व स्वीकृति है। Evidence Act 115 के तहत जहां सुनकर हुआ है, वहां विबन्धित है।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व दृष्टांत का अवलोकन, मनन किया। दस्तावेज देखने से स्पष्ट होता है कि नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु अपीलांत ने स्वयं आवेदन के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किए। ऐसे में दर्ज नामान्तरण की जानकारी न होना विश्वास से परे है। यहां Evidence Act की धारा 115 विशेषतः उल्लेखनीय है। जब अपीलांत ने रेस्पोजेन्ट संख्या-4, 5 की ओर से हक त्याग हेतु आवेदन करवाया, वहां भी उनके हस्ताक्षर व शपथ-पत्र स्पष्ट प्रकटीकरण करते हैं कि नामान्तरण में क्या वर्णित है। अपीलांत समस्त तथ्यों से परिचित होते हुए भी विधि का बिंदु लेकर उपस्थित होता है तो स्पष्ट है कि अपीलांत स्वच्छ इरादे से न्यायालय में नहीं आया है वरन् स्वार्थवश उपस्थित हुआ है। मुस्लिम विधि का प्रश्न निचली अदालत में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। विशेष विधि संबन्धी बिंदु तब लागू होते हैं जब प्रार्थी की जानकारी के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा निर्णय फलीभूत हुआ



06/07/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (हनुमानगढ़)

हो। यहां अपीलांट को हर तथ्य की जानकारी थी। इस प्रकार अपीलांट विवधित हो जाता है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया चस्या होते है। जबकि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया चस्या नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.07.2023 को सरेइ जददास सुनाया गया



(Handwritten signature)
06/7/2023
(चंचल वर्मा अवर दफ्तर)
अतिरिक्त न्यायाधीश
अतिरिक्त न्यायालय